

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ-831/1/साप्रवि/विविध/20/1250

भिलाई, दिनांक 10/11/2020

आदेश

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/स्था./दो/का.भा./57/07/3553 दिनांक 16.05.2007 के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का निराकरण सा.प्र.विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-4/2002/1-3 दिनांक 10 जून 03 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत निकाय स्तर पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ-7-1/2012/1-3 दिनांक 14.06.2013 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार निकाय स्तर पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 20.10.2020 की अनुशंसा अनुसार निम्नांकित आवेदक/आवेदिकाओं की अनुकम्पा नियुक्ति नियमित स्थापना में उनके नाम के समक्ष दर्शित पदों में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीवीक्षावधि के अध्याधीन नियुक्ति किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक/आवेदिका का नाम	मृतक शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	आवेदक/आवेदिका नियुक्ति पदनाम	वेतन बैंड + ग्रेड पे. (मैट्रिक्स लेवल)
1	श्रीमती गायत्री साहू	स्व. शैलेन्द्र कुमार साहू, प्रोसेस सर्वर	सहायक ग्रेड-03	5200-20200+1900 (19500-62000) LEVEL-4
2	कु.अर्शिया नाज	स्व. सैय्यद जियाउद्दीन, स्वच्छता पर्यवेक्षक	सहायक ग्रेड-03	5200-20200+1900 (19500-62000) LEVEL-4
3	श्री अर्जुन सोनी	स्व. जगदीश स्वर्णकार, चौकीदार	सहायक ग्रेड-03	5200-20200+1900 (19500-62000) LEVEL-4

उक्त आवेदक/आवेदिकाओं की अनुकम्पा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
- (2) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।

क्रमश.....

2. यह अनुकम्पा नियुक्ति शासन के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जा रही है। भविष्य में किसी भी पक्षकार/आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के संबंध में शिकायत करता है एवं जांच में शिकायत सही पाया जाता है तो या आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र असत्य/गलत पाया जाता है तो आवेदक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु स्वमेव अपात्र हो जावेगा एवं अनुकम्पा नियुक्ति एकपक्षीय निरस्त कर दिया जावेगा एवं नियुक्ति दिनांक से की गई समस्त भुगतान भू-राजस्व की भांति वसूलनीय होगा।
3. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना अथवा सूचना के एवज में एक माह का वेतन/भत्ते देने पर सेवा समाप्त समझी जावेगी।
4. नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पदभार ग्रहण करना होगा अन्यथा कार्य पर उपस्थिति मान्य नहीं किया जावेगा तथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
5. पदभार ग्रहण करते समय प्रमुख जिला चिकित्सालय दुर्ग का शारीरिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं एक नग कोरी सेवापुस्तिका प्रस्तुत करना होगा।
6. पदभार ग्रहण करने पर निगम द्वारा संबंधित कर्मचारी का पृथक से पुलिस विभाग से चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध यदि विपरीत टिप्पणी दी जाती है तो संबंधित का उपरोक्त नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जावेगा।
7. कार्य पर उपस्थिति के समय अपने शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता संबंधी मूल प्रमाण-पत्रों को लाना अनिवार्य होगा।
8. पदभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के भीतर अपने परिवार में कोई भी सदस्य के शासकीय सेवा में सेवारत तो नहीं है इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ऋतुराज रघुवंशी)

आई.ए.एस.

आयुक्त

नगर पालिक निगम

मिलाई

मिलाई, दिनांक 10/11/2020

पृ.क्रमांक/एफ-831/1/सा.प्र.वि./विविध/20/1251
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग. रायपुर के ज्ञापन क्र./स्था. /दो/का.भा./57/3553 दिनांक 16.05.2007 के तारतम्य में सूचनार्थ ।
2. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. दुर्ग को सूचनार्थ।

क्रमश.....

3. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
4. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
7. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ ।
8. प्रोग्रामर डाटा सेंटर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट में अपलोड हेतु ।
9. स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ ।
10. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु.....को सूचनार्थ ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई